प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/एम0डी0आर0/54–डी0/2018–19/2701-75 दिनांक: 14.06.2018

विषय– **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "Maternal Death Surveillance and Response (MDSR) " के वित्तीय वर्ष 2018–19 में क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।**

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2014–16 के अनुसार उ0प्र0 का मातृ मृत्यु अनुपात 201 प्रति 1 लाख जीवित जन्म है। समग्र प्रयासों से SRS 2011–13 में MMR 285 प्रति 1 लाख जीवित जन्म के सापेक्ष 29 प्रतिशत की घटोत्तरी दर्ज की गयी है जो कि उत्साहवर्धक है। MDSR प्रदेश में मातृ मृत्यु में कमी लाने के लिये एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो कि मातृ मृत्यु के विभिन्न कारणों एवं कारकों पर प्रकाश डालती है एवं उनको दूर करने में सहायक है। जनपदों में वर्ष 2018–19 में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. **मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग –**
   - ✓ आशा द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाली 15–49 वर्ष आयु की प्रत्येक महिला की मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द दूरभाष पर सम्बन्धित प्रभारी/मातृ मृत्यु नोडल चिकित्साधिकारी को दी जायेगी। महिला मृत्यु सम्बन्धी सूचना मृत्यु के 24 घण्टे के अन्दर दूरभाष पर तथा एक सप्ताह के भीतर प्रारूप–1 पर ए0एन0एम0/ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी को देने पर उन्हें प्रोत्साहन धनराशि रू0 200.00 अनुमन्य है। सभी ब्लॉक प्रभारी आशाओं का इस हेतु ससमय भुगतान सुनिश्चित करें।
   - ✓ समस्त 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की मृत्युओं की सूचना प्रत्येक माह प्रारूप–2 पर प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सुरक्षित की जायेगी।
   - ✓ समस्त संसूचित 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की मृत्युओं की सूचना में से मातृ मृत्यु समीक्षा के उपरान्त चिन्हित वास्तविक मातृ मृत्यु की सूचना प्रारूप–3 पर सुरक्षित की जायेगी।
   - ✓ वर्ष 2018–19 आशाओं द्वारा 24 घण्टे के भीतर किसी भी 15 से 49 वर्ष की महिला की मृत्यु की रिपोर्ट करने पर सम्बन्धित आशा को रू0 200.00 की प्रोत्साहन धनराशि देय होगी (कोड 3.1.1.1.12)।
   - ✓ मातृ मृत्यु की सूचना देना न्ययोचित है। कोई भी राजकीय अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मातृ मृत्यु की सूचना दे सकता है। अतः मातृ मृत्यु की सूचना देने पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/सेवा प्रदाता को दण्डित न किया जाये।
   - ✓ किसी भी वास्तविक मातृ मृत्यु की सूचना जानबूझकर छिपाने वाली लापरवाह आशा के निष्कासन हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान को सूचित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। क्षेत्रीय ए0एन0एम0 तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भी ऐसी परिस्थिति में चेतावनी दी जाये तथा पुनरावृत्ति की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। प्रत्येक दशा में प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा बी0सी0पी0एम0 के सहयोग से क्लस्टर मीटिंग के दौरान आशाओं को मातृ मृत्यु की सूचना 24 घण्टे के भीतर देने की उपयोगिता तथा सूचना को छिपाने के दुष्परिणाम के सम्बन्ध में भली भांति अवगत करा दिया जाये। इस योजना का जनपदवार ब्लॉक स्तरीय बैठकों में वृहद प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाये।

2. **प्रवासी (Migrant) मातृ मृत्यु–**
   - ✓ नजदीकी जनपद/राज्य की मातृ मृत्यु के सम्बन्ध में फैसेलिटी रिव्यू तो उसी इकाई में किया जायेगा जहाँ महिला की मृत्यु हुयी हो। सामुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा के लिये सम्बन्धित जनपदीय एवं राज्य नोडल को सूचित करते हुये मातृ मृत्यु समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी। प्रवासी मातृ मृत्यु के सम्बन्ध में मातृ मृत्यु का जनपद गर्भावस्था में अधिकांश समय व्यतीत करने वाला/मृत्यु का कारण प्रारम्भ होने वाला जनपद माना जायेगा एवं उसी जनपद में यह मातृ मृत्यु संगणित की जाये।

3. **सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा –**

- ✓ प्रत्येक (संस्थागत/एम्बुलेन्स/घर इत्यादि) मातृ मृत्यु की सामुदयिक स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा अपेक्षित है। इस के लिये 03 सदस्यीय टीम बनायी जाये जिसके सदस्य चिकित्साधिकारी/पी0एच0एन0/स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/एल0एच0वी0/क्षेत्र की ए0एन0एम0 एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हो सकते है। यदि चिकित्सा अधिकारी इस दल के सदस्य होगें तो मृत्यु का कारण उनके द्वारा निर्धारित किया जायेगा। अन्यथा की दशा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर टीम द्वारा की गयी वर्बल आटॉप्सी के आधार पर मृत्यु के कारणों को चिन्हित करते हुये प्रारूप–5 व 6 पूर्ण रूप से भरकर जमा करेंगे।
- ✓ प्रत्येक माह मृत्यु के कारणों के विश्लेषण व सुधार के लिये कार्यवाही हेतु प्रारूप– 6 (एम0डी0आर0 हेतु केस सारांश) अवश्य बनायें।
- ✓ प्रत्येक समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा के लिये रू0–600.00 की धनराशि (कोड 10.1.1) प्राविधानित है। इस धनराशि का विभाजन दलों के 03 सदस्यों (चिकित्साधिकारी/एल0एच0वी0 अथवा क्षेत्र की ए0एन0एम0 एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी) को वास्तविक रूप में मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु भ्रमण करने पर रू0 200.00 प्रति सदस्य देय होगा (कोई अतिरिक्त यात्रा भत्ता देय नहीं)।
- ✓ ब्लॉक नोडल मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक में एम0डी0एस0आर0 सम्बन्धी प्रत्येक व्यवस्था के लिये जिम्मेदार होगा। मातृ मृत्यु से सम्बन्धित प्राप्त समस्त सूचनाओं को नोडल अधिकारी द्वारा 24घण्टे के भीतर जनपद स्तरीय नोडल ऑफिसर को प्रेषित किया जायेगा। उनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध समस्त आँकड़ों की समीक्षा करते हुये मासिक बैठकों में फैसेलिटी व फील्ड स्टाफ को सेन्सेटाइज किया जायेगा।

4. **फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा** (MDSR)–

- ✓ प्रत्येक संस्थागत–मेडिकल कॉलेज, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होने वाली मातृ मृत्यु की **फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा** (MDSR) अपेक्षित है। इस हेतु प्राविधानित प्रारूप–4 को पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाये। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी मातृ मृत्यु सम्बन्धी सूचना मृत्यु के 24 घण्टे के अन्दर दूरभाष/प्रारूप–1 पर प्रभारी मातृ मृत्यु नोडल अधिकारी को देते हुये 24 घण्टे के भीतर निर्धारित प्रारूप पर **फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा** सुनिश्चित करेंगे एवं सम्बन्धित केस शीट की छाया प्रति भविष्य में समीक्षा के लिये संलग्न करेंगे। **फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा** की एक प्रति इकाई पर सुरक्षित रखते हुये दूसरी प्रति जनपद स्तरीय मातृ मृत्यु नोडल अधिकारी को उसी माह प्रेषित करेंगे। प्रत्येक माह होने वाली मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व सुधार के लिये की गयी कार्यवाही पर आख्या अवश्य बनायें।
- ✓ **फैसेलिटी** नोडल मेडिकल ऑफिसर **फैसेलिटी** में एम0डी0एस0आर0 सम्बन्धी प्रत्येक व्यवस्था के लिये जिम्मेदार होगा। नोडल अधिकारी मातृ मृत्यु की समस्त सूचनाओं को 24घण्टे के भीतर जनपद स्तरीय नोडल ऑफिसर को (दूरभाष/संदेश द्वारा) सूचित करेगा। उनके द्वारा **फैसेलिटी** पर उपलब्ध समस्त आँकड़ों की समीक्षा करते हुये मासिक बैठकं में फैसेलिटी स्टाफ को सेन्सेटाइज किया जायेगा।
- ✓ **मातृ मृत्यु के कारणों वर्गीकरण–**

  मातृ मृत्यु की समीक्षा उपरान उनका समुचित वर्गीकरण आवश्यक है। रजिस्टार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा 2001–2003 के मध्य भारत में मातृ मृत्यु कारणों की रिपोर्ट प्रस्तुत के अनुसार रक्त श्राव से 38 प्रतिशत, उच्च रक्तचाप से 5 प्रतिशत, सेप्सिस से 11 प्रतिशत, गर्भपात से 08 प्रतिशत, बाधित प्रसव से 5 प्रतिशत एवं अन्य कारणों से 34 प्रतिशत मातृ मृत्यु होती है। वर्तमान में की जा रही मातृ मृत्यु समीक्षाओं में 60 प्रतिशत से अधिक मातृ मृत्युओं को अन्य में वर्गीकृत किया जा रहा है। अतः प्रस्तावित है कि मातृ मृत्युओं को आई0सी0डी0–10 के आधार पर वर्गीकृत किया जाये। उपरोक्तानुसार फैसेलिटी बेस्ड मातृ मृत्यु समीक्षा के प्रारूप में निम्न 09 कैटेगिरी को शामिल किया गया है–

  M01- Pregnancies with abortive outcome (Maternal death: Direct)
  M02- Hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and puerperium (Maternal death: Direct)
  M03- Obstetric hemorrhage (Maternal death: Direct)
  M04- Pregnancy related infections (Maternal death: Direct)

M05- Other obstetric complications (Maternal death: Direct)
M06- U nanticipated complications of Management (Maternal death: Direct)
M07 - N on obstetric complications (Maternal death: Indirect)
M08- U nknown/ undetermined (Maternal death: unspecified)
M09- Co-incidental causes (Death during pregnancy, child birth and puerperium)

5. **जनपद स्तर पर सूचना का सम्प्रेषण–**
   - ✓ ब्लॉक एवं फैसेलिटी नोडल ऑफिसर प्रारूप–1 पर 24 घण्टे के भीतर जिला मातृ मृत्यु नोडल कार्यालय को मातृ मृत्यु की सूचना प्रेषित करेंगे।
   - ✓ फैसेलिटी नोडल ऑफिसर प्रारूप–4 पर 48 घण्टे के भीतर जिला मातृ मृत्यु नोडल कार्यालय को फैसेलिटी बेस्ड मातृ मृत्यु की सूचना प्रेषित करेंगे।
   - ✓ ब्लॉक नोडल ऑफिसर प्रत्येक माह की समाप्ति पर समस्त कम्युनिटी बेस्ड मातृ मृत्यु की प्रारूप–5 एवं 6 पर संकलित सूचनायें जिला मातृ मृत्यु नोडल कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
   - ✓ ब्लॉक एवं फैसेलिटी नोडल ऑफिसर प्रारूप–3 पर प्रत्येक माह की समाप्ति पर (विगत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की सूचना) जिला मातृ मृत्यु नोडल कार्यालय को मातृ मृत्युओं की संकलित सूचना ई–मेल द्वारा प्रेषित करेंगे। पूरे माह में कोई भी मातृ मृत्यु न होने पर शून्य मातृ मृत्यु की सूचना प्रेषित की जायेगी।
   - ✓ जिला मातृ मृत्यु नोडल कार्यालय प्रारूप–3 पर प्रत्येक माह की समाप्ति पर समस्त ब्लॉक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र व जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में होने वाली मातृ मृत्युओं की (विगत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की सूचना) संकलित करेंगे।
   - ✓ जिला मातृ मृत्यु नोडल कार्यालय प्रारूप–3 पर आगामी माह की 07 तारीख तक राज्य मातृ मृत्यु नोडल कार्यालय को मातृ मृत्युओं की संकलित सूचना ई–मेल द्वारा प्रेषित करेंगे। पूरे माह में कोई भी मातृ मृत्यु न होने पर उनके द्वारा शून्य मातृ मृत्यु की सूचना प्रेषित की जायेगी।

6. **प्रतिक्रिया हेतु विश्लेषण एवं कार्यवाही–**
   - ✓ एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम केवल मातृ मृत्यु समीक्षा तक सीमित न रह कर प्रतिक्रियापरक कार्यक्रम है। अधिकांश मातृ मृत्यु सामाजिक, सांस्कृतिक एवं चिकित्सकीय कारणों से होती है। एक से अधिक घटनाओं के कारण होने वाली मातृ मृत्युओं को 03 देरियों (स्थानीय/चिकित्सकीय कारणों) के निवारण द्वारा कम किया जा सकता है।
   - ✓ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण प्रथम देरी– अज्ञानता व लापरवाही, खतरो के लक्षण के प्रति अनभिज्ञता, प्रसव के पहले कोई तैयारी नही होने, समस्या की पहचान न होने तथा अंधविश्वास एवं रूढ़ियों के चलते फैसला लेने मे देरी तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की अनुपलब्धता के कारण होती है। द्वितीय देरी– वाहन/ पैसे की व्यवस्था मे देरी, दुर्गम रास्ते के कारण प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य संस्थान में पहुँचने मे देरी तथा तृतीय देरी– स्वास्थ्य संस्थान में मानक सुविधाओं दवाओं, रक्त तथा उपकरणों के अभाव, स्वास्थ्य संस्थान में उपचार प्रारम्भ करने में विलम्ब अथवा उचित देख–रेख मिलने के अभाव के कारण होती है।
   - ✓ 4 ए0एन0सी0 प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत कम होना, ग्रह प्रसव की अधिकता, चिकित्सा इकाइयों में प्रसव हेतु आयी हुयी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या में वृद्धि, एम्बुलेन्स एवं मार्ग में हुयी मृत्यु की अधिकता तथा अत्याधिक संदर्भनों को कम करने की आवश्यकता है। इस हेतु प्रत्येक स्तर पर आवश्यक कदम उठाये जाये।
   - ✓ मातृ मृत्युओं के कारणों का विश्लेषण विभिन्न जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार के लिये आवश्यक है। उपलब्ध आँकड़ों का संख्यात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण करने हेतु प्रक्रिया एवं परिणाम जनित सूचकांक निम्नवत् है–

SN	Quantitative Indicators (संख्यात्मक सूचकांक)		Qualitative Indicators (गुणात्मक सूचकांक)
	Process Indicators	**Programme Indicators**	
1	No. of maternal deaths reported vs apprehended deaths	Place of delivery	Identification of complications during ANC
2	No. of maternal deaths investigated in district	Place of death	Care provided in reffered facilities
3	No. of facilities conducting FBMDSR	Out of pocket expenditure	Money spent in seeking care
4	% of maternal deaths reviewed by CMO committee	N umber of cases received three ANCs	Delay in identification of danger signs and decision making
5	% of maternal deaths reviewed by DC	N umber of cases received PNC	Delay in reaching at appropriate facility
6		Mode of transport used and time taken to reach the facility	Delay in initiating treatment at the health facility

7. जनपद स्तर पर **MDSR** कार्यक्रम की रिव्यू बैठक का आयोजन –
   - ✓ **जनपद स्तर पर** प्रत्येक 2 माह में एक बार, मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता **MDSR कार्यक्रम की रिव्यू बैठकों का आयोजन** जिला नोडल अधिकारी (MDSR) सुनिशित करेंगे। इसमें **सभी मातृ मृत्युओं** की रिपोर्टिंग एवं मातृ मृत्युओं (समुदाय आधारित एवं स्वास्थ्य इकाई आधारित) की समीक्षाओं का विस्तृत अनुश्रवण किया जाये। इस बैठक में सैम्पल **मातृ मत्यु समीक्षा** (MDSR) **नवीन** प्रारूप – 4, 5 एवं 6 भी प्रस्तुत हों जिससे एकत्रित सूचनाओं की गुणवत्ता का आंकलन किया जा सके। इसी बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले केसों का चयन किया जाये, जिनमें संवेदनशील कार्यवाही योग्य बिन्दु हों।
   - ✓ **तृतीय पक्ष द्वारा समीक्षा के दृष्टिगत जनपद स्तर पर** प्रत्येक 2 माह में एक बार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर MDSR कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाये। इस बैठक में मातृ मृत्यु के विभिन्न कारकों, देरियों और मृत्यु के स्थान में से कुछ चुने हुये केसों की समीक्षा रिपोर्ट विस्तृत विश्लेषण के साथ प्रस्तुत की जाये। विशेषकर मातृ मृत्यु के सामाजिक कारणों जिन पर अन्य विभागों के सहयोग की आवश्यकता हो, को इस बैठक में प्रस्तुत किया जाये। क्षेत्रवार मातृ मृत्यु के क्षेत्रीय कारणों का विश्लेषण कर विभिन्न विभागों द्वारा लिये जाने वाले एक्शन प्वाइंट पर भी चर्चा की जाये एवं गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर प्रगति भी प्रस्तुत की जाये। इस बैठक को डी0एच0एस0 के साथ अथवा जनपदीय एम0डी0आर0 रिव्यू बैठक के साथ ही किये जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
   - ✓ इन बैठकों के कार्यवृत्त को मण्डल स्तर पर त्रैमासिक रिव्यू के समय अवश्य प्रस्तुत किया जाये। प्रत्येक माह सभी **मातृ मत्यु समीक्षा** (MDSR) **नवीन** प्रारूप 4, 5 एवं 6 पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व सुधार के लिये की गयी कार्यवाही पर आख्या बनाई जाये।
   - ✓ जनपद स्तरीय द्विमासिक बैठकों के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 में कोड 16.2 पर रू0–3000.00 प्रति बैठक की धनराशि प्राविधानित है।

8. मण्डल स्तर पर त्रैमासिक मातृ मृत्यु समीक्षा (MDSR)कार्यक्रम की रिव्यू बैठकों का आयोजन –
   - ✓ मण्डल स्तर पर अपर निदेशक की अध्यक्षता में त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करें। इस बैठक में मण्डल के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपदों के कार्यक्रम प्रभारी व सभी जनपदीय समितियों के अध्यक्ष प्रतिभाग करें। सभी जनपदों के प्रभारी इस बैठक के आयोजन से पूर्व जनपद स्तरीय बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें।
   - ✓ बैठक में प्रत्येक जनपद में किये जा रहे रिव्यू की गुणवत्ता की जाँच करने हेतु भरे हुये सैम्पल प्रारूप 4, 5 एवं 6 के अनुसार मृत्यु के कारणों एवं प्रपत्रों की गुणवत्ता का विश्लेषण करें।
   - ✓ **इन बैठकों का अच्छा मीडिया कवरेज सुनिश्चित किया जाये।** मीडिया के समक्ष मातृ मृत्यु कम करने सम्बन्धी जनपदों/मण्डल के प्रयासों को उजागर किया जाये। इस बैठक का कार्यवृत्त अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर भी प्रेषित किया जाये। इन बैठकों के कार्यवृत्त मातृ स्वास्थ्य अनुभाग

एस0पी0एम0यू0 एवं एम0सी0एच0 अनुभाग परिवार कल्याण महानिदेशालय को क्रमशः gmmhup@gmail.com एवं mchjsy@gmail.com अवश्य प्रेषित किये जायें।

✓ मण्डल स्तरीय बैठक हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये प्रति मण्डल प्रति बैठक रू0–10000.00 की दर से 04 त्रैमासिक बैठकों के लिये कुल रू0–7.20 लाख की धनराशि (कोड **16.2**पर) प्राविधानित है।

9. विभिन्न स्तर पर नोडल अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व–

राष्ट्रीय नोडल	कार्यक्रम क्रियान्वयन सम्बन्धी मुद्दों पर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश
⇩	
राज्य नोडल	जनपद स्तरीय आँकड़ों का मूल्यांकन अनुश्रवण एवं मण्डल/जनपदों को फीडबैक प्रदान करना
⇩	
मण्डलीय नोडल	जनपद स्तरीय आँकड़ों का मूल्यांकन अनुश्रवण एवं राज्य/जनपदों को फीडबैक प्रदान करना
⇩	
जनपदीय नोडल	ब्लॉक/स्वास्थ्य इकाई स्तरीय आँकड़ों का मूल्यांकन अनुश्रवण एवं सम्बन्धित को फीडबैक प्रदान करना
⇩	
फैसेलिटी नोडल	स्वास्थ्य इकाई के आँकड़ों का मूल्यांकन अनुश्रवण एवं फैसेलिटी स्टाफ को फीडबैक प्रदान करना
⇩	
ब्लॉक नोडल	ब्लॉक में रिपोर्टेड केसों की समीक्षा आँकड़ों का मूल्यांकन अनुश्रवण एवं फैसेलिटी स्टाफ/फील्ड वर्करों को फीडबैक प्रदान करना

10. राज्य स्तर पर मातृ मृत्युओं की गोपनीय समीक्षा (Cofidentional Review)–
स्वास्थ्य इकाइयों पर गर्भवती महिलाओं/प्रसूताओं के उपचार व प्रबन्धन को उन्नत करने के लिये तथा की गयी त्रुटियों की पहचान कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु राज्य स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्रों पर होने वाली चयनित मातृ मृत्युओं की गोपनीय समीक्षा की जायेगी। इस हेतु 01 उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ स्त्रीरोग एवं अन्य विशेषज्ञ सम्मिलित है। इस हेतु मातृ मृत्यु केसों की पूरी भरी हुयी केसशीट तथा अन्य दस्तावेज आवश्यक होंगे। अतः पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केसशीट का उपयोग सुनिश्चित किया जाये ताकि मातृ मृत्युओं की गोपनीय समीक्षा के लिये चयनित केसों की समीक्षा के समय नियमानुसार भरी हुयी केसशीट उपलब्ध करायी जा सके।

11. मातृ–मृत्यु से सम्बन्धित विभिन्न रिपोर्टिंग प्रपत्रों का मुद्रण– मातृ–मृत्यु से सम्बन्धित फॉर्म्स एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र की छपाई हेतु इस वर्ष सभी जनपदों को रू0–1500.00 प्रति ब्लाक एवं रू0–13.43 लाख जनपद स्तर की दर से (कोड 121.1) धनराशि अनुमन्य है। इस धनराशि से सभी जनपद स्तरीय इकाईयों पर **मातृ मत्यु समीक्षा नवीन** प्रपत्र–1, 2, 3, 4, 5 व 6 की पर्याप्त व्यवस्था की जाये ताकि कोई फोटो कॉपी न करानी पड़े।

12. **जनपद स्तरीय एम0डी0एस0आर0 प्रशिक्षण**– वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्साधिकारियों द्वारा एक दिवसीय जनपद स्तरीय एम0डी0एस0आर0 प्रशिक्षण का प्राविधान है। इस हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।
13. **अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग –एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम** सम्बन्धी सूचनाओ को एच0एम0आई0एस0 के अतिरिक्त यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर भी अपलोड किया जाये। आप अवगत हैं कि चिकित्सा अनुभाग–9 के शासनादेश सख्या –36/2015/694/पांच –9–2015–9(127)/12टी0सी0 दिनांक 26–05–2015 द्वारा यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर समस्त आंकड़ो को गुणवत्तायुक्त तरीके से एकत्र करने की व्यवस्था हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का उत्तरदायित्व स्पष्टतया निर्धारित किया गया है। अतः समस्त आंकड़ों को उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गुणवत्ता का ध्यान रखते हुये फीड कराया जाये। भारत सरकार को प्रेषित किया जाने वाला प्रारूप एम–4 जिसमें मातृ मृत्यु के कारकों व कारणों की भी सूचना प्रेषित की जाती है, को प्रत्येक त्रैमास प्रसव इकाइयों की सूचना के0पी0आई0–2 के साथ ही प्रेषित करें। जिला नोडल अधिकारी इस प्रपत्र पर **मातृ मत्यु समीक्षा** प्रपत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्त त्रुटि रहित सूचनायें अंकन कर प्रेषित करेंगे। प्रत्येक जनपद मातृ मत्यु समीक्षा के पश्चात् प्रत्येक त्रैमास 2–3 केस स्टडी का डॉक्यूमेन्टेशन कर मण्डल को प्रेषित करे। मण्डल स्तर पर संकलित इन केस स्टडीज़ की एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जाये।
14. **वित्तीय व्यवस्था–**
    - ✓ किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा। प्राविधानित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
    - ✓ प्राविधानित धनराशि का मदवार व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
    - ✓ धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
    - ✓ कार्यक्रम/मद में आबंटित धनराशि का व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
    - ✓ व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
    - ✓ उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 नीरज शुक्ला)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/एम0डी0आर0/54–डी0/2018–19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 महानिदेशक–परिवार कल्याण, उ0प्र0, को पृथक से दिशा निर्देश निर्गम के अनुरोध के साथ।
3 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
6 समस्त महाप्रबन्धक एवं विभागाध्यक्ष,एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
7 समस्त मण्डलीय एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ल)
महाप्रबन्धक मातृ स्वा0

प्रारूप –1

प्राइमरी इन्फॉरमर हेतु प्रारूप

(15 – 49 वर्ष की प्रत्येक महिला की मृत्यु की सूचना संकलित करने के लिये)

1.	राज्य का नाम		
2.	जनपद का नाम		
3.	ब्लाक का नाम		
4.	गॉव का नाम तथा स्थान का विवरण		
5.	मृत महिला का नाम		
6.	पति अथवा पिता का नाम		
7.	महिला की उम्र		
8.	मृत्यु का समय एवं दिनांक		
9	एम0सी0टी0एस0 आई0डी0		
10	मोबाइल नं0		
11.	मृत्यु का स्थान		
	(अ) घर पर		
	(ब) स्वास्थ्य संस्थान में		
	(स) मार्ग में एवं अन्य		
12.	मृत्यु कब हुई–		
	स्थिति	हॉ	नहीं
	(अ) गर्भावस्था के समय		
	(ब) प्रसव के समय		
	(स) प्रसव के 42 दिन के अन्दर		
	(द) गर्भपात के दौरान या गर्भपात होने के 6 सप्ताह के अन्दर ।		
13.	सूचना देने वाले का नाम		

सूचना देने वाले का हस्ताक्षर :

पद नाम :

दिनांक :

क्षेत्रीय ए0एन0एम0 द्वारा पुष्टि कि उपरोक्त महिला की मृत्यु गर्भावस्था से लेकर प्रसव/अबॉरशन के भीतर होने वाली वास्तविक मातृ मृत्यु है/नहीं है।

ए0एन0एम0 के हस्ताक्षर, दिनांक सहित–

प्रारूप – 2

Form-2

15-49 वर्ष की सभी महिलाओ की मृत्यु की सूचना संकलित करने के लिये ब्लाक स्तरीय मातृ मृत्यु समीक्षा **(MDR)**रजिस्टर

ब्लाक प्रा0 स्वा0 केन्द्र का नाम : _____ ब्लाक :_____

जिला : _____ राज्य : _____

माह : _____ वर्ष : _____

क्रमांक	मृतका का नाम	उम्र	मृत्यु की तिथि	पता	पति / पिता का नाम	मृत्यु का कारण (✓ का निशान लगायें)		प्राथमिक सूचना देने वाले का नाम व पदनाम (प्रारूप-1)	क्षेत्र निरीक्षण की तिथि	अगर मृत्यु मातृत्व सम्बन्धी कारण से हुई है तो कृपया उचित कारण दें।	की गयी कार्यवाही का विवरण
						मातृ **(Maternal)**	गैर मातृ **(Non-Maternal)**				

ब्लाक प्रा0 स्वा0 केन्द्र के मेडिकल आफिसर इंचार्ज का हस्ताक्षर एवं दिनांक

मातृ मृत्यु लाइन लिस्टिंग प्रारूप (Line listing Form)-3

(यह प्रारूप ए0एन0एम0 / ब्लाक एम0ओ0आई0सी0 / फैसिलिटी नोडल अधिकारी / जिला नोडल अधिकारी (MDSR) द्वारा भरा जाना है)

उपकेन्द्र और गाँव का नाम:_____ प्रा0 स्वा0 केन्द्र:_____ ब्लाक:_____

जिला:_____ राज्य: _____

जानकारी लेने वाले व्यक्ति का नाम एवं फोन नं0. _____ प्रारूप जमा करने का दिनांक व माह:_____

निर्देश: कृपया प्रत्येक माह के 5 तारीख से पहले एक कॉपी प्रा0 स्वा0 केन्द्र के एम0ओ0आई0सी0 और एक कॉपी ब्लाक के मेडिकल आफिसर, मुख्य चिकित्साधिकारी और जिला नोडल अधिकारी (MDR) के पास जमा करें। (उदाहरण के लिये मार्च की रिपोर्ट की यह कॉपी 5 अप्रैल तक उपरोक्त लिखित अधिकारी तक पहुँच जानी चाहिये)

कम0 सं0	मृत्यु की तिथि	मृतका का नाम	मृत्यु का स्थान			मृत्यु कब हुई				मृत्यु के संम्भावित कारण	प्रसव परिणाम नवजात की स्थिति (मृत /जीवित)	साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का नाम व मो0नं0	जानकारी लेने वाले का नाम, पदनाम तथा मृतका के घर साक्षात्कार करने का दिनांक
			घर परं	स्वास्थ्य सस्थान में	मार्ग में	गर्भावस्था के दौरान	प्रसव के दौरान	गर्भपात के दौरान/ गर्भपात के बाद 6 सप्ताह के अन्दर	प्रसव के बाद 42 दिन के अन्दर				

रिपोर्टिंग अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पद और हस्ताक्षर:

दिनांक

नोट: प्रत्येक मातृ मृत्यु के लिये ब्लाक के मेडिकल आफिसर इन्चार्ज को टेलीफोन द्वारा 24 घंटे के अन्दर सूचित करें।

मातृ मृत्यु समीक्षा (एम०डी०आर०) सारांश

(ब्लाक स्तर पर घटित हर मातृ मृत्यु के लिए ब्लाक चिकित्साधिकारी तथा जॉच दल द्वारा भरे जाने हेतु)

<table>
<tr><td>ब्लाक पी०एच०सी०/जिला का नाम/ स्वास्थ्य सस्थान का नाम</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">मृतका का विवरण</td><td colspan="2">नामः</td><td colspan="3">आयुः</td></tr>
<tr><td colspan="2">धर्म</td><td colspan="3">जाति</td></tr>
<tr><td>पता (जहॉ बीमारी के दौरान/ प्रसवपीड.ा के प्रारम्भ के दौरान मृतका रह रही थी)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>मृत्यु का स्थान, तिथि एवं समय</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">मृत्यु की अवधि</td><td>गर्भावस्था के दौरान</td><td>गर्भपात के दौरान/ गर्भपात होने के 6 सप्ताह के अन्दर</td><td>प्रसवपीड.ा में/प्रसव के दौरान</td><td>प्रसव हो जाने के 1 सप्ताह के अन्दर</td><td>प्रसव हो जाने के 7 दिन से 42 दिन के अंदर</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">प्रसूति इतिहास</td><td rowspan="2">ग्रेविडा</td><td rowspan="2">पैरा</td><td colspan="2">गर्भपात</td><td rowspan="2">इन्फैन्ट आउटकम</td></tr>
<tr><td>स्वतः</td><td>करवाया गया</td></tr>
<tr><td>जॉच की तारीख</td><td>प्रथम भ्रमण की तिथि</td><td>द्वितीय भ्रमण की तिथि</td><td colspan="3">मुख्य उत्तरदाता (रिस्पान्डेन्ट) का नाम तथा सम्पर्क विवरण</td></tr>
</table>

1. देखरेख होने में विलम्ब (Delay in seeking care)
- खतरो के लक्षण के प्रति अनभिज्ञता ।
- अज्ञानता व लापरवाही ।
- समस्या की पहचान नही हो सकी/हुई भी तो लापरवाही बरती गई।
- फैसला लेने मे देरी।
- प्रसव के पहले से कोई तैयारी नही ।
- अंधविष्वास एवं रूढ़ियों के चलते ।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की अनुपलब्धता
- कोई अन्य कारण/विवरण ।

पहले विलम्ब (First delay) का उचित कारण भरें ।

2. प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य संस्थान में पहुॅचने मे देरी
- वाहन की व्यवस्था मे देरी ।
- पैसे की व्यवस्था मे देरी ।
- समय से उचित स्वास्थ्य संस्थान तक न पहुॅच पाना ।
- दुर्गम रास्ते ।
- कोई अन्य कारक/विवरण दे ।

दूसरे विलम्ब (Second delay) का उचित कारण भरें ।

3. स्वास्थ्य संस्थान में उचित देख–रेख मिलने मे विलम्ब
- उपचार प्रारम्भ करने में विलम्ब
- स्वास्थ्य संस्थान में मानक सुविधाओं का अभाव
- दवाओं, रक्त तथा उपकरणों का अभाव
- पर्याप्त धन का अभाव
- कोई अन्य कारक/विवरण

तीसरे विलम्ब (Third delay) का उचित कारण भरें ।

मृत्यु का संभावित प्रत्यक्ष प्रसूति कारण **(Direct Obstetric cause):**

मृत्यु का अप्रत्यक्ष प्रसूति कारण **(Indirect Obstetric cause):**

मृत्यु के गौण कारण **(Contributory causes) :**

निर्देशः कृपया गौण कारणो को सूचीबद्व करें

प्रस्तावित सुझाव :

जॉच दल के सदस्यों के नाम व पदनाम :

ब्लाक चिकित्साधिकारी का नाम और हस्ताक्षर (सील के साथ)